


19.10.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी लक्ष्मीलाल  
के प्रति निम्न उपस्थित बहस उभय  
पक्ष का मकल किया गया। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा  
यह प्रार्थना पत्र नम्बरा शीट में हुई  
तरमीम के संवेद्य में प्रस्तुत किया  
गया है। तरमीम की अपील सुनने  
का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा के  
नहीं होकर न्यायालय श्रीमन् जिला  
कलम्टर करौली को है। प्रार्थना  
पत्र धारा 136 न्यायालय हाजा में  
चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा  
136 L.R. में स्वारिज किया जा रहा है।  
प्रार्थी तरमीम वास्तव अक्षम न्यायालय  
में अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली  
केवल सुमार होकर नम्बर से कम  
होकर वाद तकमील दारिबल इफ्तार  
हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)